उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-13/2016/180/38-1-2016&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2016

**<u>कार्यालय ज्ञाप</u>**

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2013 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियों सहित श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र की नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या- 347/2015/2020/38-1-2015-3508/2013 दिनांक 11.09.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए दिनांक 28.09.2015 से 21.11.2015 (यथा संशोधित) तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान में योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2- शासन के उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र द्वारा केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षाबल (गृह मंत्रालय भारत सरकार) के सहायक कमान्डेन्ट के पद से दिनांक 11.10.2015 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होते हुए दिनांक 11.11.2015 से 15.11.2015 तक सार्वजनिक अवकाश के उपरान्त राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16.11.2015 को उपस्थित हुए किन्तु उक्त प्रशिक्षण संस्थान में श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र की योगदान आख्या स्वीकार नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र द्वारा दिनांक 16.11.2015 को शासन में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 16.11.2015 से श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान आख्या स्वीकार की जाती है तथा श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र को सम्यक विचारोपरान्त जनपद कुशीनगर में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

**3-** जनपद के विकास खण्ड में तैनाती सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

**4-** श्री मिश्र की जनपद के विकास खण्डों में 01 माह की फील्ड ट्रेनिंग दिये जाने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा इनकी विकास खण्ड में स्वतंत्र रूप से तैनाती की जायेगी।

**5-** इनकी सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

**6-** श्री मिश्र को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं यदि श्री मिश्र ने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है, को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे श्री मिश्र को योगदान करने की अनुमति प्रदान न करें।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**7-** श्री मिश्र को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुॅचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**8-** प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में श्री मिश्र की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 ¼अद्यावधिक संशोधन सहित½ के सुसंगत नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

**9-** यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका ¼सिविल½ संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

**दीपक त्रिवेदी**
प्रमुख सचिव।

संख्या- 13/2016/180(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/9/2015-का-4-2015 दिनांक 05.05.2015 के संदर्भ में प्रेषित।
(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब,लखनऊ।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर।
(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
(10) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल।
(11) श्री कुमार कार्तिकेय मिश्र पुत्र श्री विजय कुमार मिश्र ग्राम व पो0 वंसपार थाना घुघली जनपद महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्राप्ति के बाद तैनाती के जनपद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

**उमा कान्त मिश्र**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in